

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. धर्मवीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।

-वादी

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
2. कौशल्या पुत्री बृजलाल पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।
3. राधा पुत्री बृजलाल पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।
4. सुमित्रा पुत्री बृजलाल पत्नी दिलावरसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
5. सुमन पुत्री बृजलाल पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
6. इन्दिरा पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
7. कुलदीप पुत्र सतवीर पुत्र बृजलाल नाबालिग जरिये माता मूर्ति पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
8. मूर्ति पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
9. अमित } पि० धर्मवीर नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता शारदा पत्नी धर्मवीर
10. मोनिका } जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चक नं० 21 केएनएन के खाता सं० 103/98 में कुल 7.248 है० नहरी मय गै०मु० तथा इसी चक के खाता सं० 105/100 में कुल 0.506 है० नहरी भूमि के प्रतिवादी सं० 7 कुलदीप व प्रतिवादी सं० 9 अमित को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 21 केएनएन के खाता सं० 103/98 व इसी चक के खाता सं० 105/100 में से प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारों के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक6.8.2018
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6.8.2018.....को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी